न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 01/2024

जीसीएमएस : 2024/408

गंगादेवी बनाम पैम्पादेवी आदि

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति :—

1. श्री माणक चन्द प्रार्थी
2. श्री गुरप्रताप सिहं वकील अप्राथी

—:निर्णय इजराय:— दिनांक :— 21.02.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया गंगोदवी पुत्री फरीदा राज धर्म पत्नि श्री उतमाराम जाति मेधवाल निवासी बरूवाला तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री माणकचन्द अधिवक्ता ने इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 101/10 अनवान गंगादेवी बनाम पैम्पादेवी आदि अन्तर्गत धारा 88—92ए—188 राज.काश्त. अधि. में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2012 मय डिक्री दिनांक 12.03.2012 की पालना करवाने हेतु उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11सीपीसी के तहत पालना करवाने हेतु प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया । निर्णय दिनांक 12.03.2012 के अनुसार वाके चक 2 बी डब्ल्यू एस एम के मु.न. 18 प.न. 289/337 के 24—10 बीधा भूमि का इन्तकाल सं. 40 दिनांक 15.5.1991 को शुन्य घोषित किया जाता है एवं वादिनी तथा प्रतिवादी सं. 1 के मृतक पति देवाराम की विवादित भूमि का बहिस्सा बराबरा—बराबर घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम इन्तकाल सं. 56 दिनांक 20.5.95 इन्तकाल सं. 67 दिनांक 3.08.96 को शुन्य घोषित किया जाकर वादिनी को चक 2 बी डब्ल्यू एस एम के मु.न. 18 प.न. 289/337 के कि.न. 1—2 सालम—सालम , 3/1 में .126, 8/2 में .127, 9 ता 12 सालम—सालम , 13/1 में .126, 18/2 के .127, 19—20 सालम—सालम , 21/1 में .202, 22/1 में .101 कुल 3.036 है. का खातेदार घोषित किया जाकर वादिनी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल—दरामद के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। जिसकी पालना में एक तरफा आदेश क्रमांक/रीडर/24/ 1099 दिनांक 11.02. 2024 के द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर को लिखा गया । तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक /भू.अ./2024/5786 दिनांक 31.12.2024 के द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया कि उक्त रकबा में से मु. न. 18 के 3.036है. भूमि गंगादेवी पुत्री फरीदाराम पत्नि उतमाराम जाति मेधवाल के नाम आईसीआईसीआई बैंक रायसिंहनगर रहन दर्ज व मु.न. 18 के 3.162 है. रकबा फकीरराम पुत्री मोतीराम जाति नायक के नाम एसबीबीजे शाखा रायसिंहनगर रहन दर्ज हैं अतः उक्त सरकबा में वर्णित रकबे के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है ताकि प्रकरण निरस्तारण किया जा सकें।

इसी दौराने अप्रार्थी फकीराम पुत्र मोतीराम जाति नायक निवासी 16पीटीडी की ओर से श्री गुरप्रताप सिहं अधिवक्ता ने वकालतनामा के साथ फार्म नं. 3 के अनुसाद दस्तावेज सूची प्रस्तुत की है। कहाँ कि उक्त रकबा इन्तकाल अप्रार्थी फकीराराम पुत्र मोतीराम के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2012 में नजरसानी प्रार्थना—पत्र दिनांक 17.05.2012 को अप्रार्थी फकीरराम पुत्र मोतीराम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थी गंगादेवी पत्नि उतमाराम ने जबाव प्रार्थना—पत्र भी प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों को सुना जाकर हमारा पक्ष में न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.07.2012 को निर्णय किया जा चुका है। जिसमें संशोधन डिक्री दिनांक 2.07.2012 को जारी की जा चुकी है। जिसकी पालना में अप्रार्थी फकीरामराम पुत्र मोतीराम के नाम से इन्तकाल दर्ज हो चुका है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार के द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 31.12.2024 के द्वारा भी हो चुकी है। उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां वकील अप्रार्थी ने प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इजराय चलने योग्य नहीं है।

पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया।उक्त विवेचन के आधारों प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत **आदेश 21 नियम 11 सीपीसी** का अस्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर प्रार्थी का इजराय प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 21.02.2025 को लिखाया [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:46:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner